उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2017/19(120) /XXVII(8)/2012
दिनांकः: देहरादूनः: 18 अगस्त, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष, 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, कर के लिए दायी ब्यौहारी अथवा स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2017–18 से संबंधित 30 जून को समाप्त होने वाले प्रथम त्रैमास की सावधिक विवरणी, 20 अगस्त, 2017 तक बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल की जा सकती है, किन्तु कर/समाधान राशि अथवा टी0डी0एस0 का भुगतान नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

सं0 600 /2017/19(120) /XXVII(8)/2012 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

4688
18/08/2017

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

19/08/2017

E:/New Vigyapti/ First Periodical Return upto 30-08-2017(17-08-2017)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.600/2017/19(120)/XXVII(8)/2012 dated 18August, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
VITTA ANUBHAG-8
NO. 600 /2017 / 19(120)/ XXVII(8)/ 2012
Dehradun :: Dated:: 18 August, 2017

Notification

Where as the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 and section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in rule 11 of the Uttarakhand VAT Rule, 2005, the Governor is pleased to order that the first periodical return for the quarter ending June, 30 related to the assessment year 2017-18 may be filed by a dealer liable to tax or a person responsible for deduction tax at source upto 20 August, 2017 without any late fee, provided that the payment of tax/ composition money or TDS shall be made within the time as prescribed in rule 11.

(Amit Singh Negi)
Secretary

E:/New Vigyapti/ First Periodical Return upto 30-08-2017(17-08-2017)